न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—40 / 2025

प्रार्थीगण::—

1. आम्बाराम पुत्र भलाराम जाति पुरोहित निवासी जिनपुर
2. पकाराम पुत्र भलाराम जाति पुरोहित निवासी जिनपुर
3. भीमाराम पुत्र भलाराम जाति पुरोहित निवासी जिनपुर
4. पार्वतीदेवी पत्नी भलाराम जाति पुरोहित निवासी जिनपुर

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. महेन्द्रसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी सुंधानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थीगण
2. श्री गणपतसिंह गोलिया वकील विप्रार्थी संख्या 1

:: आदेश::

दिनांकः— 16·03·2026

प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 32,33 व 34 रकबा क्रमशः 2.4389, 0.4505 व 0.0009 हैक्टेयर ग्राम सुंधानगर तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहे है। उक्त खसरे की माठ के सहारे —सहारे आवागमन हेतु कदीमी रास्ता कायम है लेकिन रेवन्यु रेकर्ड में आने—जाने हेतु रास्ता नहीं दर्शाया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 31 के पश्चिम भाग में आम रास्ता ग्राम मांगी जाता हैं जो कदीमी रास्ता हैं विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 31 के पश्चिमी भाग के हिस्से ए से बी को आने जाने हेतु पत्थर कंकरीट व कांट डालकर आवाग[मन का रा]स्ता रोक दिया है जिससे आने जाने का रास्ता रूक गया है उक्त रास्ता आगे [illegible]गर होते हुए सुक्लेश्वर महादेव तक जाता है,राज्य सरकार द्वारा राजस्व रेकर्ड [में खे]तो के सेडे—सेडे एक [illegible] रास्ता कायम किया है जो खसरा संख्या 130, 131, 170, 142 व खसरा संख्या 31 के दक्षिणी व पूर्वी माठ के सहारे खसरा संख्या 26 व 27 तक रास्ता डामरीकरण किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

गया है जबकि खसरा संख्या 31 क पश्चिमी भाग में सर्वे किया गया तथा आगे खसरा संख्या 30 से होकर खसरा संख्या 26 के सेडे के पूर्वी भाग मे रोड बनाई जो खसरा संख्या 27 तक गयी हुई है जबकि सभी काश्तकारों की सहमति से खसरा संख्या 31 में प्रवेश कर खसरा संख्या 32 के सेडे होते हुए खसरा संख्या 30 में से होकर खसरा संख्या 25 में रोड प्रस्तावित हुई थी,मगर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जहाँ रोड प्रस्तावित की गयी थी उस रास्ते से रोड ना निकालकर रातो रात खसरा संख्या 31 के दक्षिणी व पूर्वी भाग से होते हुए सीधे खसरा संख्या 26 व 27 के पूर्वी सेडे पर सड़क बना दी गयी जबकि रोड बनाने से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया था, जबकि खसरा संख्या 31 के पश्चिम में व खसरा संख्या 30 के दक्षिण भाग से होते हुए खसरा संख्या 25 व 26 के दक्षिणी भाग से होते हुए खसरा संख्या 81 व खसरा संख्या 7 के ग्राम मांगी से सीधा रास्ता आगे सुकलेश्वर महादेव मंदिर जाने का मुख्य रास्ता है जिस पर पीढ़ियों से आवागमन होता आ रहा है प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या अ से ब विप्रार्थी सं. 1 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस [illegible] की तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या1 की ओर से वकील श्री गा[illegible]सिंह गोलिया उपस्थित ।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थ[illegible] अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 32,33 व 34 रकबा क्रमशः 2.4389,0.4505 व 0.0009 हैक्टेयर भूमि ग्राम सुंधानगर तहसील सिवाना में अवस्थित है, उक्त खसरे की माठ के सहारे –सहारे आवागमन हेतु कदीमी रास्ता कायम है लेकिन रेवन्यु रेकर्ड में आने–जाने हेतु रास्ता नहीं दर्शाया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 31 के पश्चिम भाग में आम रास्ता ग्राम मांगी जाता हैं जो कदीमी रास्ता हैं विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खसरा संख्या 31 के पश्चिमी भाग के हिस्से ए से बी को आने जाने हेतु पत्थर कंकरीट व कांट डालकर आवागमन का रास्ता रोक दिया है जिससे आने जाने का रास्ता रूक गया है उक्त रास्ता आगे सुंधानगर होते हुए सुक्लेश्वर महादेव तक जाता है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी बरंग गुलाबी रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप में विप्रार्थी संख्या 1 को राशि दिये जाने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के मध्य विप्रार्थी के खसरा संख्या 30 की अंतिम भुजा उत्तरी पर रास्ता देने की सहमति बनी है तथा जो रकबा रास्ते की भूमि में प्रभावित हो रहा है उस वही रकबा विप्रार्थी के द्वारा उपलब्ध करवाने की सहमति बनी थी, खसरा संख्या 30 व 31 दोनो विप्रार्थी की खातेदारी भूमि है, खसरा संख्या 30 तथा 31 समान्तरण है लिहाजा विप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 30 [illegible] माठ से रास्ता घोषित किया जावे ।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं [illegible] बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

खेत खसरा संख्या 32,33, 34 व 35 रकबा क्रमशः 2.4389, 0.4505 ,0.0009 व 0.1219 हैक्टेयर भूमि से कटाण रास्ता तक आवागमन हेतु वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी बरंग गुलाबी से दर्शाए गया रास्ता ही एक मात्र इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, प्रार्थीगध्स अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थीगण को उक्त रास्ते अत्यांतिक आवश्यकता होना जाहिर करते हुए रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 को देने की भी सहमति जाहिर की गई है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम सुंधानगर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 32,33, 34 व 35 रकबा क्रमशः 2.4389, 0.4505 ,0.0009 व 0.1219 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 30 मे से लम्बाई 119 मीटर व चौडाई 4 मीटर भूमि रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' में दर्शित बिन्दु संख्या सी,डी.ई बरंग नीला से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी.दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/2391 दिनांक 10.11.2025 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 16.03.2026 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:43:10 IST
Reason: SelfAttested